DAINIK JAGRAN, Siliguri, 28.2.2021
Page No. 6, Size:(7.20)cms X (18.04)cms.

एनएचआरसी ने सुंदरवन में मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर सचिव से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुंदरवन में मानवाधिकार से जुड़े दो मामलों पर बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर की गई याचिका पर एनएचआरसी ने राज्य प्रशासन से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। त्रिपाठी ने कहा कि सुंदरवन के निवासियों को मानव-पशु संघर्ष, कुपोषण,आजीविका की कमी, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, बिजली व पेयजल की कमी समेत कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मानवाधिकार रक्षकों पर हमला किया जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सुंदरवन क्षेत्र के निवासियों को लंबे समय तक उनके मूल मानवाधिकारों से वंचित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में मानवाधिकारों के मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग करते हुए त्रिपाठी ने एनएचआरसी से अनुरोध किया कि वह इस क्षेत्र का दौरा करने, पीड़ितों के साथ बातचीत करें।

डॉक्टर की गैरमौजूदगी में अस्पताल से नहीं मिलेगी दवा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के फरमान पर अमल हुआ तो किसी भी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की गैर हाजिरी में मरीज को दवा नहीं मिल सकेगी। शासन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर आयोग के फरमान पर कड़ाई से पालन करने को कहा है। विभागीय फरमान पर अमल के बाद जिले की चिकित्सा व्यवस्था पर असर पड़ना लाजिमी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के केस संख्या- 160/24/13/2018 के संबंध में आयोग द्वारा जारी फरमान के अनुसार भविष्य में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति में अनधिकृत किसी भी कार्मिक द्वारा मरीजों को दवा आदि देने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के इस आदेश का पालन कराने को सभी अस्पतालों को निर्देशित करने के लिए शासन ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है। शासन के पत्र पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश ने सभी एडी हेल्थ, सीएमओ व सीएमएस पुरूष/महिला अस्पताल को पत्र लिखकर आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। शासन की ओर से आयोग के सहायक निबंधक (विधि) को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि आदेश पर अमल कराए जाने के लिए जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शासन के इस पत्र को लेकर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सीएमओ को पत्र लिखकर गाइड लाइन जारी करने को कहा है। एसोसिएशन के जिला मंत्री शैलेंद्र राय का कहना है कि दवा वितरण का कार्य फार्मासिस्ट का होता है। आयोग का फरमान क्या उनके ऊपर भी लागू होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

क्या था प्रकरण

पहली जनवरी 2018 को एक न्यूज चैनल में खबर चली थी। खबर में दिखाया गया था कि बाराबंकी जिले की एक पीएचसी में चिकित्सक व फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में वहां का वार्ड ब्वॉय मरीजों में दवा बांट रहा था। आयोग ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश शासन से रिपोर्ट तलब की थी। शासन की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि डॉक्टर की गैर हाजिरी में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति दवा का वितरण नहीं करेगा।

फरमान पर अमल हुआ तो बेपटरी हो जाएगी चिकित्सा व्यवस्था

आयोग के फरमान पर अमल हुआ तो जिले के ग्रामीण अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। चिकित्सकों के अभाव में फार्मासिस्ट के भरोसे कई अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा रात्रि के समय कम ही अस्पतालों में चिकित्सक मिलते हैं। वहां पर फार्मासिस्ट ही प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को रेफर तक कर रहे हैं। अगर इसके लिए चिकित्सक की शर्त अनिवार्य हुई तो मरीजों को प्राथमिक उपचार मिलना मुश्किल हो जाएगा।

इस संबंध में जानकारी तो मिली है, लेकिन विभाग से पत्र नहीं मिला है। पत्र आने के बाद डीजी हेल्थ से दिशा-निर्देश मांगा जाएगा। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए ग्रामीण अस्पतालों के संचालन के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/basti/story-in-the-absence-of-a-doctor-the-medicine-will-not-be-available-from-the-hospital-3880112.html

परी के इलाज के लिए गोरखपुरिए नौकरीपेशा युवा जुटाएंगे रकम, एसआरसीसी हॉस्पिटल ने भी बढ़ाए हाथ

जानलेवा बीमारी स्पाइनल मास्कुलर एट्रॉफी(एसएमए) टाइप-वन से जूझ रही गरिमा उर्फ परी के इलाज की संभावनाएं जगने लगी है। परी के जानलेवा बीमारी व खर्चीले इलाज को देखते हुए गोरखपुर से जुड़े कुछ नौकरीपेशा युवा मासूम के इलाज में मददगार बनने की पहल कर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में जॉब कर रहे युवाओं ने मासूम के इलाज के लिए फंड जुटाने की मुहिम शुरू करने का फैसला किया है।

गोरखपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हुए युवा अभिनव, अर्जित और रवि दिल्ली व बेंगलुरु में जॉब कर रहे हैं। इन युवाओं तक गरिमा की बीमारी की खबर आपके अपने चहेते समाचार पत्र हिन्दुस्तान के जरिए मिली। हिन्दुस्तान के 24 फरवरी के अंक में गरिमा उर्फ परी की बीमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। हिन्दुस्तान की खबर के बाद युवाओं ने व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए आपस में चर्चा की। नौकरी पेशा युवाओं ने अब इसे मुहीम बनाने का फैसला किया है। युवाओं ने इसके लिए बीमारी से पीड़ित मासूम के परिजनों से भी संपर्क किया हैं।

मानवाधिकार आयोग तक पहुंची पीड़ा

जानलेवा बीमारी से पीड़ित मासूम की पीड़ा **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गई है**। मानव सेवा संस्थान के निदेशक राजेश मणि ने इसको लेकर मानवाधिकार आयोग व बाल आयोग को ट्वीट किया है। उन्होंने मासूम के इलाज का खर्च सरकार से उठाने की अपील की है।

एसआरसीसी अस्पताल भी मदद को बढ़ाएगा हाथ

महाराष्ट्र के मुम्बई में स्थित एसआरसीसी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल तक भी गरिमा का मामला पहुंच गया है। देश में यह बच्चों के इलाज का बेहतरीन अस्पताल है। इसका संचालन नारायणा हेल्थ करता है। इसी अस्पताल में तीरा कामत नाम की दो साल की मासूम का इलाज चल रहा है। तीरा कामत भी एसएमए टाइप वन से पीड़ित है। उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन विदेश से मंगाया गया। इस रकम का इंतजाम भी सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाकर हुआ था। अस्पताल प्रबंधन ने परी के इलाज को लेकर भी रुचि जगाई है। अस्पताल के मैनेजर निशांत मेहता तक हिन्दुस्तान की खबर पहुंची। निशांत

ने मरीज से जुड़े कागजात मंगाए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की टीम मरीज के परिजनों से संपर्क करेगी। इसमें जो हो सकेगी सभी मदद अस्पताल मुहैया कराएगा।

यह है मामला

महानगर के शाहपुर में रहने वाली साढ़े छह साल की मासूम गरिमा उर्फ परी रेयर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। यह बीमारी एक लाख में एक बच्चे को होती है। इस बीमारी का इलाज बेहद महंगा है। इसमें जीन थेरेपी होती है। विश्व की चंद अस्पतालों में इसका इलाज होता है। इस बीमारी के इलाज में ही 16 करोड़ का जोल्जनसमा इंजेक्शन लगता है। इसे स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इस इंजेक्शन के आयात पर छह करोड़ का टैक्स लगता है। मुम्बई के एसआरसीसी अस्पताल में भर्ती तीरा कामत को यह इंजेक्शन लगना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजेक्शन पर लगे टैक्स को माफ कर दिया है।

पीडियाट्रिक एसोसिएशन के कार्यशाला में पहुंचे एसआरसीसी के विशेषज्ञ

मुम्बई के एसआरसीसी के पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन डॉ. प्रदीप कौशिक, पीडियाट्रिक हेमेटो-आंकोलॉजिस्ट डॉ. रूचिरा मिश्रा और लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. ललित वर्मा शनिवार को पीडियाट्रिक एसोसिएशन की कार्यशाला में पहुंचे। यह कार्यशाला महानगर के होटल में हुई। इसमें डॉक्टरों ने बच्चों में जन्मजात होने वाली बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी दी।

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/gorakhpur/story-gorakhpur-professionals-will-collect-money-for-pari-treatment-3879783.html

Human Rights Commission slaps Rs 3 lakh fine on 2 UP doctors over patient's murder at Meerut hospital

The National Human Rights Commission (NHRC) conducted a probe into the incident and decided to fine the doctors of Lala Lajpat Rai Memorial Medical College for negligence.

Meerut: Holding two senior doctors responsible in connection with the murder of a patient, the National Human Rights Commission (NHRC) has slapped a fine of Rs 3 lakh on the medics.

The issue relates to the murder of a patient who was admitted to Lala Lajpat Rai Memorial Medical College (LLRM) in 2013. The patient was murdered at the old emergency ward at the LLRM College and Hospital.

NHRC held the two doctors identified as Dr Pradeep Bharti Gupta and former CMS Dr Subhash Singh guilty of negligence.

Meanwhile, Uttar Pradesh administration has approved the decision of the rights body.

How the murder took place

In 2013, one Nitin, a resident of Amroha district, was admitted to the emergency of the Meerut district hospital in an injured condition. The deceased was a witness in a court case.

The man was stabbed to death in the emergency ward. The accused, who murdered Nitin, was on the bed next to the victim.

He had fled the scene after murdering the man. The accused was admitted to the hospital on the pretext of being a patient.

In collusion with the hospital staff, the accused also got the bed allotted next to the victim.

After the incident, the matter was reported to the human rights commission and the body slapped the fine on the doctors after a probe.

https://www.timesnownews.com/india/article/human-rights-commission-slaps-rs-3-lakh-fine-on-2-up-doctors-over-patients-murder-at-meerut-hospital/725893

NHRC asks WB chief secretary to ensure human rights in Sundarbans

The NHRC has been passing a series of directions adjudicating the petition and rejoinder filed by the Supreme Court lawyer and noted human rights activist, Radhakanta Tripathy.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday directed the West Bengal Chief Secretary to submit an Action Taken Report (ATR) on two investigation reports received from BB Mishra, Special Rapporteur of the NHRC East Zone over the problems of residents of Sundarbans.

The NHRC has been passing a series of directions adjudicating the petition and rejoinder filed by the Supreme Court lawyer and noted human rights activist, Radhakanta Tripathy.

Tripathy alleged that the residents of Sundarbans, West Bengal are forced to suffer multiple problems like man-animal conflict, malnutrition, lack of livelihood, healthcare, primary education, electricity, potable water, implementation of MGNREGS, proper roads, lack of sanitation, and other basic human rights.

Human rights defenders and whistleblowers are attacked and threatened, Tripathy said.

He alleged that the residents of the Sundarbans area have been deprived of their basic human rights for a long time despite media coverage and towering claims by the state and Central Government and international agencies and memorandums submitted by the victims to the State Authorities.

Seeking a permanent solution to the issue of human rights in Sundarbans, a world heritage site, Tripathy requested the NHRC to send a team or its Special Rapporteur to visit the area, interact with the victims, assess the situation, and make a recommendation for the state to comply.

Considering the gravity of the issue, the NHRC asked its Special Rapporteur, to visit the affected areas, assess the situation by associating the villagers and the administration highlighting the measures to be taken for ensuring basic human rights of the affected people, and submit his report.

The Special Rapporteur had visited Namkhana Block and highlighted certain observations. The same was sent to the Chief Secretary of the State of West Bengal for compliance. In the meantime, Tripathy in his rejoinder requested the NHRC to depute the Special Rapporteur to visit the remaining affected areas and submit a detailed report on the matter.

The NHRC recommended for improvement of the quality of sanitation in the entire district early completion of the eleven projects of drinking water in Rajat Jubilee village. It also recommended for the payment of ex gratia should be considered to alleviate the miseries of the indigent families due to man-animal conflict.

https://www.hindustantimes.com/cities/kolkata-news/nhrc-asks-wb-chief-secretary-to-ensure-human-rights-in-sundarbans-101614430609698.html